

भारत सरकार / Government of India
परमाणु उर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology
चिकित्सा प्रभाग / Medical Division

सं. Ref: RRCAT/LBAD/RMC/Circular/01/2023/289

मई 20, 2024

परिपत्र / CIRCULAR

आरआरकेट के सभी सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित निदेशों का सतर्कतापूर्वक से पालन करें ताकि दवाईयों की खरीद पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दवाईयों के बिलों से संबंधित आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके और सुव्यवस्थित किया जा सके :

All RRCAT CHSS beneficiaries are hereby requested to adhere to the following instructions scrupulously in order to streamline and speed up the process of clearing the applications of medicine bills for reimbursement of expenses on purchase of medicines:


- i. लाभार्थी को संलग्न प्रोफार्मा में दवाईयों के वैध मूल बिलों के साथ-साथ नुस्खा, सेवानिवृत्त, के.ओ.सू.ब. और पञ्केवि कर्मचारियों के मामले में बैंक खाते का विवरण और आरएमसी चिकित्सको का रेफरल, जहां लागू हो, के साथ **विधिवत पूर्ण आवेदन** को जमा करना आवश्यक है।
Beneficiary is required to submit the **duly completed application** supported by valid medicine bills in original along with prescription, bank account details in case of retired, CISF & AECS employees and referral of RMC doctor in cases where applicable, in the enclosed proforma.
- ii. ऐसे आवेदन जमा/प्रस्तुत करने की समय सीमा दवाईयों के नुस्खे लिखे जाने की तारीख से 6 महीने तक होगी।
The time limit for submission of such application shall be 6 months from the date of prescription of medicines.
- iii. लाभार्थी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र में रखे गए विनिर्दिष्ट बॉक्स में डालना होगा।
Beneficiary shall drop the application alongwith requisite documents in the designated box at the RRCAT dispensary only.
- iv. लाभार्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन पर आरएमसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं करवाएंगे और मोहर नहीं लगवाएंगे, क्योंकि यह कार्य आरएमसी द्वारा किया जाएगा।
The signature and stamp of RMC doctor shall not be on the filled application by the beneficiary, as the same shall be taken care off by RMC.
- v. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग वाले नुस्खे और दवाईयों के बिलों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
It may be noted that prescriptions and medicine bills having any form of overwriting shall not be accepted in any case.
- vi. जिन आवेदनों में आवेदक के हस्ताक्षर और/या तारीख नहीं होंगे उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Application without date and/or signature of applicant shall not be accepted.

यदि दवाओं हेतु प्रतिपूर्ति राशि बैंक खाते में जमा नहीं की जाती है तो दवाईयों की खरीदपर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछताछ चिकित्सा केन्द्र में आवेदन जमा करने के 3 महीने के बाद ही की जाएगी, इसके अलावा, आवेदन पत्र में अपूर्ण विवरण के कारण दवाईयों के बिलों की निपटान में देरी की संपूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।

The enquiry regarding the status of reimbursement of medicine bills shall be entertained only after lapse of 3 months of submission of application at the dispensary, if the amount is not credited to bank account. Moreover, delay in clearance of medicine bills on account of incomplete details in application form shall be the sole responsibility of beneficiary.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority implementing with immediate effect.



(वर्षा चं कदम / Varsha C. Kadam)

सहायक कार्मिक अधिकारी/Assistant Personnel Officer
प्रभारी, चिकित्सा प्रभाग प्रशासनिक प्रकोष्ठ
In-Charge, Medical Division Administrative Cell

प्रति / To,

- समस्त सूचना पट / All Notice Board
- मेल ऑल / Mail All
- प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, आरआरकेट/Head, Medical Division, RRCAT
- प्रभारी, आरएमएसएस, चिकित्सा प्रभाग राराप्रौके / In-charge, RMSS, Medical Division, RRCAT
- प्रमुख, संगणकप्रभाग, राराप्रौके / Head, Computer Division, RRCAT
- निदेशक कार्यालय, राराप्रौके / Director's Office, RRCAT
- अध्यक्ष एवं सदस्य, एसीआरएमसी / Chairman and Members of ACRMC
- महासचिव, कटसा / General Secretary, CATSA
- महासचिव, कटगंगा / General Secretary, CATGANGA
- प्राचार्य, आईसीएस, राराप्रौके / Principal, AECS, RRCAT